रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2000/भाद्र 27, 1922
No. 607] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2000/BHADRA 27, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2000

का. आ. 839(अ).—पचमढ़ी क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन के रूप में अधिसूचित करने के लिए कतिपय प्रारूप प्रस्थापनाओं से युक्त अधिसूचना, का. आ. 825(अ) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 17 सितम्बर, 1998 के पृष्ठ 1 से 4 में ऐसे व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और यह वांछनीय समझा गया है कि कतिपय उपातंरणों के साथ उक्त प्रारूप प्रस्थापनाओं को, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, पुनः प्रकाशित किया जाए;

का.आ.....(अ) अतः अब, निम्नलिखित प्रारूप प्रस्थापनाएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप प्रस्थापनाओं पर उस तारीख से साठ दिवस की अवधि के समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिसको उस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियॉ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उक्त प्रारूप प्रस्थापनाओं की बाबत कोई आक्षेप करने या सुझाव देने का इच्छुक है, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे लिखित में केन्दीय सरकार के विचार के लिए सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003 को भेज सकता है ।

प्रारूप प्रस्थापनाएं

1(क) यह प्रस्थापना की जाती है कि पचमढ़ी क्षेत्र को, जिसके अन्तर्गत पचमढ़ी नगर और 164 राजस्व ग्राम आते हैं (ग्रामों की सूची उपाबंध (1) के रूप में संलग्न) पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन के रूप में अधिसूचित किया जाए । जोन की सीमाएं उपाबंध 2 के रूप में संलग्न मानचित्र के अनुसार होंगी ।

(ख) पारिस्थितिक रूप् से संवेदनशील जोन में एक अन्तर्तम क्षेत्र होगा जिसमें पचमढ़ी नगर और इससे लगे हुए उपान्त क्षेत्र, जोन के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान होंगे । अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

(ग) पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन में निम्नलिखित क्रियाकलापों को आरम्भ करने/विनियमित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ।

2 (क) जोनल मास्टर योजना;

(i) राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण जोन के लिए (छावनी क्षेत्र को छोड़कर) एक मास्टर योजना तैयार की जाएगी और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी । योजना वैसी ही प्रक्रिया का पालन कर प्रकाशित की जाएगी जो मध्य प्रदेश नगर और ग्राम्य योजना अधिनियम, 1973 के अधीन विनिर्दिष्ट की गई है । योजना में औद्योगिक क्षेत्रों और सम्पदाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ।

(ii) नगर और ग्राम्य योजना अधिनियम, 1973 के अधीन पचमढ़ी विशेष क्षेत्र के रूप में परिभाषित क्षेत्र के लिए एक उप जोनल मास्टर योजना होगी, जो राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर योजना के एक घटक के रूप में तैयार की जाएगी और इस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

(iii) इसी प्रकार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन में, ऐसे सभी आवासो के लिए जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है, उप जोनल मास्टर योजना होगी, जो जोनल मास्टर योजना के घटक के रूप में होगी ।

(iv) छावनी क्षेत्र के लिए एक उप जोनल मास्टर योजना (जोनल मास्टर योजना के भाग के रूप में) छावनी बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगी ।

(v) जोनल मास्टर योजना और ऊपर निर्दिष्ट इसके घटकों के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लंबित रहते, अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात, अनुज्ञेय उचाई, मंजिलों की अनुज्ञेय अधिकतम संख्या और अनुज्ञेय तल आच्छादन के विद्यमान मानदण्डों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी; और वन परिक्षेत्र/हरित परिक्षेत्र/कृषि परिक्षेत्र में भी कोई कमी नहीं की जाएगी । भवनों की ऊँचाई नौ मीटर से अधिक और मंजिलों की संख्या भी तल धन एक से अधिक नहीं होगी।

(ख) **औद्योगिक इकाइयाँ-**

उद्योग केवल अभिहित औद्योगिक संपदाओं या क्षेत्रों में ही अवस्थित होंगे और वे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार होंगे ।

मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करते समय मध्य प्रदेश सरकार, उद्योगों के ऐसे प्रकार/अवसीमा विनिर्दिष्ट करेगी जो पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध हो सकेंगे और जिन्हें किसी आकलन के पश्चात् अनुज्ञा दी जा सकेगी, जिनकी अपेक्षाएं और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट हैं और वे जिन्हें मुक्त रूप से अनुज्ञा दी जाएगी, परन्तु यह तब जब वे कतिपय मानदंड पूरें करें; परन्तु इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की कोई बात 4 मई, 1994, 10 अप्रैल, 1997 और तत्पश्चात् संसोधित केन्द्रीय सरकार की 27 फरवरी, 1994 की पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं होगी ।

भविष्य में केवल प्रदूषण न फैलाने वाले, गैर-परिसंकटीय गृह उद्योगों और प्रसंस्कृत और तैयार चमड़े से जूतादि बनाने वाले, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि आधारित या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन से देशी मालों से उत्पादित उत्पाद आधारित कृषि आधारित उद्योगों की इकाइयाँ इस जोन में अनुज्ञात की जाएंगी, परंतु यह तब जब ये प्रदूषक बहिस्राव, उत्सर्जन या प्रभाव न छोड़ें । यदि सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांत पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात् जारी किए जाते हैं तो इससे अलग किया जा सकेगा ।

(ग) **खदान क्रिया और खननः-** इस अधिसूचना के पैरा 1 के अधीन उल्लिखित अन्तर्तम क्षेत्र में खुदाई और खनन क्रियाकलाप पर पूर्णतया पाबंदी होगी । पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में कोई नया खनन पट्टा मन्जूर नहीं किया जाएगा या पट्टे का नवीकरण नहीं किया जाएगा । मानीटरन समिति, स्थानीय आवासीय गृह सन्निर्माण और पारम्परिक सड़क अनुरक्षण कार्य के लिए अपेक्षित सामग्रियों की सीमित खुदाई के लिए

विशेष अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकारी होगी, परन्तु ऐसी खुदाई 15 डिग्री से अधिक प्रवणता वाले पहाड़ी ढाल पर नहीं की जाएगी ।

(घ) **वृक्षः**- पारिस्थितिक रूप से संवदेनशील जोन के भीतर किसी भी वृक्ष को, चाहे वह वन, सरकारी, राजस्व या प्राइवेट भूमि पर हो, वन भूमि की दशा में राज्य सरकार और सरकारी, राजस्व और प्राइवेट भूमि की दशा में अपने-अपने जिला कलक्टर की ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए पूर्वानुमति के बिना नहीं गिराया जाएगा, परन्तु जिला कलक्टर इस शक्ति का प्रत्यायोजन उपखण्ड अधिकारी की पंक्ति से नीचे के किसी अधीनस्थ अधिकारी को नहीं करेगा । छावनी भूमि के लिए छावनी कार्यपालक अधिकारी की पूर्वअनुज्ञा किसी वृक्ष को गिराने के लिए आवश्यक होगी, परन्तु छावनी कार्यपालक अधिकारी इस शक्ति का प्रत्यायोजन किसी अधीनस्थ अधिकारी को नहीं कर सकेगा ।

(ङ) **पर्यटनः**- सभी पर्यटन क्रियाकलाप पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पर्यटन मास्टर योजना के अनुसार होंगे । पर्यटन योजना जोनल मास्टर योजना के घटक के रूप में भी होगी । पर्यटन मास्टर योजना पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की किसी ब्यौरेवार बहन क्षमता अध्ययन पर आधारित होगी जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर उसके अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी । सभी पर्यटन क्रियाकलाप, पर्यटन के लिए विकास या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार बहन क्षमता अध्ययन के मानदण्डों के भीतर ही अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसे समय तक इस प्रयोजन के लिए कोई नया सन्निर्माण क्रियाकलाप अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(च) **प्राकृतिक विरासतः**- जोन में अनुपम प्राकृतिक विरासत के स्थलो की पहचान की जाएगी, विशिष्टतया शैल समूह, जल प्रपात, जलाशय, दर्रे, कुंज, गुफाएं आदि तथा उनके प्राकृतिक संवर्ग में उनके संरक्षण के लिए योजना जोनल मास्टर योजना और उप जोनल मास्टर योजनाओं में सम्मिलित की जाएगी । पर्यटक सुविधाएं देने के नाम पर इन स्थलों पर या इनके आसपास सन्निर्माण क्रियाकलापों को निरुत्साहित करने के लिए राज्य सरकार और छावनी बोर्ड द्वारा कड़े मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे । उक्त जोन में सभी जीन पूल आरक्षित क्षेत्र संरक्षित और परिरक्षित रखे जाएंगे । राज्य सरकार उनके संरक्षण और परिरक्षण के लिए इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर समुचित योजनाएं तैयार करेगी । ये योजनाएं जोनल मास्टर योजना और उप जोनल मास्टर योजनाओं के भाग रूप होंगी ।

(छ) **पारंपरिक विरासत**- ऐसे ऐतिहासिक या स्थापत्य या सौंदर्यपरक या सांस्कृतिक महत्व के भवनों या संरचनाओं या अश्मोपकरणों या क्षेत्रों और उप्र क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए योजनाओं को, विशिष्टतया उनके बहिर्भागों के लिए (और जहाँ समुचित समझे जाएं वहाँ उनके भीतरी भाग भी), तैयार किया जाएगा और इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर जोनल मास्टर योजना और उप जोनल मास्टर योजना में मिला दिया जाएगा । जोन में, विशिष्टया पचमढ़ी नगर में, भवन और अन्य क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार और छावनी बोर्ड द्वारा मागर्दर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे कि नगर और पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का विशिष्ट स्वरूप और विलक्षण परिवेश बनाए रखा जा सके ।

(ज) शैल चित्र, शैल आश्रय और शैल गुफाओं को क्षति से बचाने के लिए जोन के परिरक्षण और संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी ।

(झ) विरासतीय स्थलों पर (प्राकृतिक और पारंपरिक दोनों) जिसके अन्तर्गत शैल चित्र, शैल आश्रय और शैल गुफाएं भी हैं या उसके समीप विकास और सन्निर्माण क्रियाकलाप पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1995 में बनाए गए (और सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित) पारंपरिक और प्राकृतिक विरासतों के परिरक्षण संबंधी आदर्श विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

(ग) **भूजल-** भूजल को निकालना राज्य भूजल बोर्ड से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् के अधिभोगी के सद्भावपूर्ण उपभोग के लिए ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ट) **पहाड़ी ढालों का संरक्षण–** 15 डिग्री से अधिक प्रवणता की पहाड़ी ढालों पर कोई सन्निर्माण नहीं होगा ।

(ठ) **बहिस्रावों का निस्सारण-** जोन के भीतर किसी अनुपचारित बहिस्राव के निस्सारण का प्रतिषेध किया जाता है । किसी बहिस्राव का, चाहे उपचारित या अनुपचारित हो, जोन के भीतर वन या किसी जल स्रोत में निस्सारण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ड) **ठोस अपशिष्ट-** स्थानीय प्राधिकारी, ठोस अपशिष्ट के जैव निम्नीकरणीय और गैर जैविक निम्नीकरणीय घटकों में पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे । जैव निम्नीकरणीय सामग्री का उपयोग कूड़ा-खाद बनाने या वर्मीकल्चर के लिए किया जा सकेगा; अकार्बनिक सामग्री का व्ययन पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य स्थानों पर किया जा सकेगा । ठोस अपशिष्टों का दहन या भस्मीकरण पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि ठोस अपशिष्ट पद के अन्तर्गत घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और उद्यान अपशिष्ट आते हैं ।

3 (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय मानीटरन समिति का गठन किया जाएगा । समिति में कलक्टर हौशंगाबाद जिला अध्यक्ष और छिंदवाड़ा और बेतूल जिलों के कलक्टरों, मंडल वन अधिकारियों, छावनी कार्यपालक अधिकारी के प्रतिनिधि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि, पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और पर्यावरण या विरासत परिरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर शासकीय संगठनों के दो प्रतिनिधि (जो पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे) होंगे ।

(ख) मानीटरन समिति या इस संबंध में समिति द्वारा प्राधिकृत मानीटरन समिति के किसी अधिकारी या सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करे यदि उक्त अधिनियम के अधीन अपराध, यथास्थिति, उसके या उसकी सूचना में आता है ।

4. भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3)और धारा 23 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार के आवास और पर्यावरण विभाग को, इस अधिसूचना में विशेष रूप से परिगणित कृत्यों का निर्वहन और उसके अनुषंगी सभी बातों को करने के लिए सशक्त (उन सब शक्तियों को छोड़कर जो 4 मई, 1994, 10 अप्रैल, 1997 को यथा संशोधित और जो इसके पश्चात् संशोधित की जाए के अनुसार 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अपेक्षित है) करता है ।

5. इसके अधीन प्रत्यायोजित सभी शक्तियों के बाबत, किसी व्यथित व्यक्ति से अपील पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को होगी

[फा. सं. जे-20012/14/94-आई-III]

वी. राजागोपालन, संयुक्त सचिव

उपाबंध - I

पारिस्थितिक रूप से संवदेनशील जोन में आने वाले राजस्व ग्रामों के नाम

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	क्रम संख्या	ग्रामों के नाम
जिला होशंगाबाद			
(i) तहसील-सोहागपुर (योग 21 ग्राम)		(ii) तहसील पिपरिया (योग 33 ग्राम)	
1.	कामठी	1	खारी
2.	विजारवरी	2	चिल्लौद
3.	घोघारी	3	टेकापार
4.	उद्योन	4	पठाई ढेकेदारी
5.	मगरिया	5	दथाईमाल
6	खरपावड़	6	पिपरिया चंदन
7	रानीपानी	7	पिसुआ
8	सारंगपुर	8	विंद्राखेड़ा
9	मोहना देह रैयत	9	मटकुली
10	मोहना देह माला	10	मोहगांव
11	नयारवेरा	11	मेइली
12	विछुआ	12	मेहदीखेड़ा
13	सियारखेड़ा	13	मोगरा
14	धेडाका	14	कजरी
15	गोदी मारका ढाना	15	काजीघाट
16	सारंगपुर	16	खामखेड़ी
17	ढेकापारा	17	ढाना
18	नेडनेर	18	घोघारी
19	सोनपुर	19	चाकर
20	कुकडा	20	चुरनी
21	चित्तोडपट्टन	21	चीयी
		22	जम्बूदीप
		23	जामनढोना
		24	पगारा
		25	नंदिया

		26	वडकछोर
		27	विनोरा (केशढाना)
		28	वारी आम
		29	मौर
		30	रोरीघाट
		31	शंकरी
		32	सुपदोनगर
		33	सिंगानामा

क्रम सं0	ग्रामों का नाम		
जिला छिंदवाड़ा			
(i) तहसील- तामिया (योग 58 ग्राम)			
1	सावरपानी	30	खापाखुर्द
2	करेर	31	उमरिया
3	मानकवाडा	32	बरखानी
4	झिरपा	33	डेलाखारी
5	खानचारी	34	लिक्काढाना
6	पुरताला	35	गुडवी
7	पनजारा	36	घाटलिंगा
8	जामुनखेड़ा	37	प्रतागढ़ वेदला
9	वासनघाटी	38	श्री ज्ञोत
10	करारखेड़ा	39	धोरियाखेड़ा
11	रैनीखेड़ा	40	मरकावाड़ा
12	मीराकोटा	41	मुनगड़िया
13	कारगाला	42	हरसिद्धिवाडी
14	जामुनदाना	43	वेलखेड़ी
15	काराघाटी	44	निशान
16	पीपरपानी	45	कुरसीढाना
17	पीपरझेला	46	जामुनडोगा
18	पुरवारा घोघारी	47	भांडी
19	वम्हानी	48	वागई
20	कूपरनाला	49	कनखेरी

21	जनझीरी	50	धागडिया
22	इंदीभाजीपानी	51	मुत्तौर
23	चोपना भाजीपानी	52	धोबीवारदा
24	किरेमाऊ	53	विजढाना
25	नावलगांव	54	भूसावानी
26	गोदलपानी	55	खुट्टी उर्फ कौन
27	पीपरघर	56	दूदी शिखर
28	सेहरा ढाना	57	जामुनिया
29	सीताडोंगरी	58	तमिया

क्रम सं0. ग्रामों के नाम

जिला: छिंदवाड़ा

(ii) तहसील- जुन्नारगड़ (योग 35 ग्राम)

1	जोतकाला	19	बिजोरी
2	जोतखुर्द	20	चारखेड़ा
3	कोवाझिरी	21	अलमोद
4	खापा	22	गंगवानी
5	गोरखघाट	23	सेओनीघाट
6	खाजरी	24	पीलावादी
7	कोदाकुही	25	धनसौर
8	जूनापानी	26	मोहगांव मल
9	सुआ आम	27	पैटरी
10	खादसी आदेवास	28	उचे
11	वरूखेड़ा	29	तेमारू
12	घटिया	30	कुकुरपानी
13	मुंदानी	31	छाती आम
14	झापिया	32	वरूथ
15	सागखेड़ा	33	हरदु
16	बिछुआ	34	गोप
17	चारनभाटा	35	तराई
18	बिचबेहारी		

क्रम सं0	ग्रामों का नाम		
जिला बैतूल (योग 13 ग्राम)			
तहसील			
(i) -बैतूल			
1	बनझारी ढाल	7	पुंजी
2	नूतन डोंगा	8	कोल्या
3	काली रैयत	9	चिखल्या टी
4	सातलदेही	10	धरमपुर
5	नारायणपुर	11	झोली-1
6	लखीपुर	12	झोली-2
		13	चिखलापाती

(ii) तहसील-शाहपुर (योग 4 ग्राम)

1	धसाई रैयत
2	धसाई माल
3	भातना
4	रानीपुर

सकल योग (जिला होंशगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा) = 164 ग्राम

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2000

S.O. 839(E).—Whereas a notification containing certain draft proposals to notify Pachmarhi Region as an Eco-Sensitive Zone was published at pages 1 to 4 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated, the 17th September, 1998 vide S.O. 825(E), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And, whereas, it is considered desirable to publish the said draft proposals again with certain modifications for the information of all persons likely to be affected thereby;

S.O.....(E) – Now, therefore, the following draft proposals which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) are hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft proposals shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft proposals may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi 110 003.

DRAFT PROPOSALS

1.(a) It is proposed to notify the Pachmarhi Region including Pachmarhi Town and 164 Revenue Villages (List of Villages attached as Annexure-I) as an eco sensitive zone. Boundaries of the zone shall be as per the map attached as Annexure-II.

(b) The eco-sensitive zone shall have a core area consisting of Pachmarhi Town and its immediate environs, sanctuaries and national parks in the zone. All activities in the sanctuaries and national parks shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

(c) The following activities are proposed to be undertaken/regulated in the eco sensitive zone :-

2. (a) Zonal Master Plan:-

(i) A Master Plan for the entire zone (except for the Cantonment area) shall be prepared by the State Government and approved by the Ministry of Environment and Forests in the Government of India. The Plan shall be published by following a procedure similar to that specified under the Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973. The Plan shall clearly earmark industrial areas and estates.

(ii) The area defined as Pachmarhi Special Area under the Town and Country Planning Act, 1973 shall have a Sub-Zonal Master Plan, which will have to be prepared by the State Government as a component of the Zonal Master Plan and concurrence of the Ministry of Environment and Forests shall be obtained on this.

(iii) Similarly, all other habitations in the eco sensitive zone having populations of more than 5000 shall have Sub-Zonal Master Plan, which will form components of the Zonal Master Plan.

(iv) A Sub-Zonal Master Plan for the Cantonment Area (as part of the Zonal Master Plan) shall be prepared by the Cantonment Board and got approved by the Ministry of Environment and Forests in the Government of India.

(v) Pending the approval by the Ministry of Environment and Forests to the Zonal Master Plan and its components referred to above, there shall be no increase in the existing parameters of permissible floor area ratio, permissible height, permissible maximum number of storeys and permissible ground coverage; and there shall also be no reduction in the Forest Zone/Green Zone/Agricultural Zone. Height of the buildings shall not exceed nine metres and number of storeys shall not exceed ground plus one.

(b) Industrial Units :- Location of industries shall be only in the designated industrial estates or areas and has to be as per guidelines drawn up by the Government of Madhya Pradesh as well as the guidelines issued from time to time by the Ministry of Environment and Forests

In drawing up guidelines, the Government of Madhya Pradesh shall specify the types/threshold limits of industries that are completely prohibited, those that can be permitted after an appraisal, the requirements and procedures of which are specified, and those that shall be freely permitted provided certain criteria are met: Provided that nothing in these guidelines shall conflict with the provisions of the Environment Impact Assessment Notification of January 27, 1994 of the Central Government as amended on May 4, 1994, April 10, 1997 and as may be subsequently amended.

In future only non-polluting, non-hazardous cottage industries and units making footwear from processed and ready made leather, floriculture, horticulture based or agro-based industries producing products from indigenous goods from the eco sensitive zone shall be permitted in this zone provided that these result in no polluting effluent, emission or effect. If Government guidelines are issued after the Ministry of Environment and Forests' approval, this may be done away with.

(c) Quarrying and Mining :- Quarrying and mining activities are totally banned in the core area mentioned under para 1 of this notification.

No fresh mining lease or renewal of lease shall be granted in the eco sensitive zone. The Monitoring Committee shall be the authority to give special permission for limited quarrying of materials required for the construction of local residential housing and traditional road maintenance work only provided that such quarrying is not done on hill slopes having gradient of more than 15 degrees.

(d) Trees:- There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or private lands within the eco sensitive zone without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land, as per procedure which may be specified by the State Government provided that the District Collector shall not delegate this power to any subordinate officer below the rank of sub-divisional officer. For Cantonment Lands, prior permission of the Cantonment Executive Officer shall be necessary for felling of any trees provided that the Cantonment Executive Officer shall not delegate this power to any sub-ordinate officer.

(e) Tourism:- All tourism activities shall be as per a Tourism Master Plan to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Ministry of Tourism and approved by the Ministry of Environment and

Forests. The Tourism Master Plan will also form a component of the Zonal Master Plan.

The Tourism Master Plan shall be based on a detailed carrying capacity study of the eco-sensitive zone, which shall be carried out by the State Government and submitted to the Ministry of Environment and Forests for its approval within two years from the date of this notification. All new tourism activities, developments for tourism or expansion of existing tourism activities shall be permitted only within the parameters of this carrying capacity study and till such time, no new construction activity for this purpose shall be permitted.

(f) **Natural Heritage:-** The sites of unique natural heritage in the zone shall be identified, particularly rock formations, waterfalls, pools, gorges, groves, caves etc and plans for their conservation in their natural setting will be incorporated in the Zonal Master Plan and Sub-zonal Master Plans. Strict guidelines may be drawn up by the State Government and the Cantonment Board to discourage construction activities at or near these sites under the garb of providing tourist facilities. All the gene pool reserve areas in the zone shall be conserved and preserved. The State Government shall draw up proper plans for their conservation and preservation within one year from the date of issue of this notification. These plans shall form a part of the Zonal Master Plan and Sub-zonal Master Plans.

(g) **Man-made Heritage:-** Buildings or structures or artifacts or areas and precincts of historical or architectural or aesthetical or cultural significance shall be identified and plans for their conservation, particularly their exteriors (and wherever deemed appropriate their interiors also) shall be prepared and incorporated in the Zonal Master Plan and Sub-zonal Master Plans within one year from the date of this notification. Guidelines shall be drawn up by the State Government and the Cantonment Board to regulate building and other activities in the Zone, particularly in Pachmarhi Town, so that the special character and distinct ambience of the Town and the eco-sensitive zone is maintained.

(h) Special plans shall be drawn up by the State Government to preserve and protect the zone from damage to the rock paintings, rock shelters and rock caves.

(i) Development and construction activity at or around heritage sites (both natural and man-made) including rock paintings, rock shelters and rock caves shall be regulated in accordance with the model Regulations on Conservation of man-made and natural heritage framed by the Ministry of Environment and Forests in 1995 (and circulated to all State Governments and Union Territory Administrations).

(j) Ground Water:- Extraction of ground water shall be permitted only for the *bona-fide* consumption of the occupier of the plot after obtaining permission from the State Ground Water Board. No sale of ground water shall be permitted.

(k) Use of Plastics:- The use of plastics within the core area shall be regulated by the Monitoring Committee.

(l) Protection of Hills Slopes:- There shall be no construction on hill slopes having gradient more than 15 degrees.

(m) Discharge of effluents:- The discharge of any untreated effluent is prohibited within the zone. No effluent, either treated or untreated, shall be permitted to be discharged into the forests or any water source within the zone.

(n) Solid Wastes:- The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components. The biodegradable material may be used for composting or vermiculture; the inorganic material may be disposed off at environmentally acceptable locations. No burning or incineration of solid wastes can be undertaken without prior permission. It is clarified that the term solid wastes include domestic, industrial, commercial and garden wastes.

3 (a) A high level Monitoring Committee shall be constituted by the Government of Madhya Pradesh to ensure compliance with the provisions of this notification. The Committee shall consist of the Collector, Hoshangabad District, Chairman and representatives of Collectors of Chhindwara and Betul Districts, Divisional Forest Officers, Cantonment Executive Officer, a representative of the Central Pollution Control Board, a representative of the Ministry of Environment and Forests and two representatives of non-government organizations working in the field of environment or heritage conservation (to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India).

(b) It shall be the duty of the Monitoring Committee or any officer or member of the Monitoring Committee authorised by the Committee in this regard to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) if offences under the said Act come to its or as the case may be, his notice.

4. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 and section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, hereby empowers the Housing and Environment Department, Government of Madhya Pradesh, to discharge the functions specifically enumerated in this notification and to do all things incidental thereto (except the powers which are required to be exercised by the Government of India as per the provisions of the Environment Impact Assessment notification of January 27, 1994 as amended on May 4, 1994, April 10, 1997 and as may be subsequently amended).

5. In respect of all powers delegated hereunder, an appeal from any aggrieved person shall lie to the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

[F. No. J-20012/14/94-IA-III]

V RAJAGOPALAN, Jt Secy

Annexure – I

Name of the Revenue villages falling in the eco-sensitive zone

.....

Sl. No.	Name of villages	Sl. No.	Name of villages
Distt. Hoshangabad			
(i) Tehsil – Sohagpur (Total 21 villages)		(ii) Tehsil – Pipariya (Total 33 villages)	
1.	Kamti	1.	Khari
2.	Bijakhari	2.	Chillaud
3.	Ghoghari	3.	Tekapar
4.	Uddaun	4.	Pathai Dhekedari
5.	Magaria	5.	Dathai Mal
6.	Kharpawad	6.	Piparia Chandan
7.	Rani pani	7.	Pisua
8.	Sarangpur	8.	Bindra Khera
9.	Mohna Deh Raiyat	9.	Matkuli
10.	Mohna Deh Mala	10.	Mohgaon
11.	Nayakhera	11.	Maili
12.	Bichhua	12.	Mehdikhera
13.	Siyarkheda	13.	Mogra
14.	Dhedaka	14.	Kajri
15.	Godi Markadhana	15.	Kajighat
16.	Sarangpur	16.	Khamkhedi
17.	Dhekapara	17.	Dhana
18.	Nedner	18.	Ghoghari
19.	Sonpur	19.	Chakar
20.	Kukda	20.	Churni
21.	Chhittaur pattan	21.	Chiyee
		22.	Jumbudeep
		23	Jamandhona
		24.	Pagara
		25.	Nandia
		26.	Badak chhor
		27.	Binora (Keshdhana)
		28.	Bari Aam
		29.	Muar
		30.	Rorighat
		31.	Sankari
		32.	Supdongar
		33.	Singanama

Sl. No.	Name of villages	Sl. No.	Name of villages

Distt. Chhindwara

(i) Tehsil – Tamia (Total 58 villages)

1.	Sawarpani	34.	Likkadhana
2.	Karer	35.	Gudwi
3.	Manakwada	36.	Ghatlinga
4.	Jhirpa	37.	Pratagarhbedla
5.	Khanchari	38.	Shri jhot
6.	Purtala	39.	Dhauria khera
7.	Panjara	40	Markawada
8.	Jamunkheda	41	Mungaria
9.	Basanghati	42.	Harasidiwari
10.	Kararkheda	43.	Belkheri
11.	Rainikhera	44.	Nissan
12.	Meerakota	45.	Kursidana
13.	Karangala	46.	Jamundoga
14.	Jamundana	47.	Bhandi
15.	Karaghati	48.	Bagai
16.	Piparpani	49.	Kankheri
17.	Piparjhela	50.	Dhagadia
18.	Purwara ghoghari	51.	Muttaur
19.	Bamhani	52.	Dhobiwarda
20.	Kuparnala	53	Bijdhana
21.	Junjhiri	54	Bhusawani
22.	Indibhaji pani	55.	Khutti Urf Kuan
23.	Chopna bhajipani	56.	Dudi Shikhar
24.	Kiremau	57.	Jamunia
25.	Nawalghaon	58.	Tamia
26.	Godalpani		
27.	Piparghar		
28.	Sehra dhana		
29.	Sitadongari		
30.	Khapakhurd		
31.	Umaria		
32.	Barkhani		
33.	Delakhari		

Sl. No.	Name of villages
Distt. Chhindwara	
(ii)	Tehsil – Junnargarh (Total 35 villages)
1.	Jhotkala
2.	Jhotkhurd
3.	Kowajhiri
4.	Khapa
5.	Gorakhghat
6.	Khajari
7.	Kodakuhi
8.	Junapani
9.	Sua Aam
10.	Khadsi Aadewas
11.	Barukheda
12.	Ghatia
13.	Mundani
14.	Jhapia
15.	Samakhera
16.	Bichhua
17.	Charanbhata
18.	Bichbehari
19.	Bijori
20.	Charkheda
21.	Almod
22.	Gangwani
23.	Sheonighat
24.	Pilavadi
25.	Dhunsaur
26.	Mohgaon Mal
27	Pattrey
28.	Uche
29.	Temaru
30.	Kukurpani
31.	Chhati Aam
32.	Baruth
33.	Hardu
34.	Goap
35.	Tarai

Sl. No.	Name of villages
Distt. Betul	
(i)	Tehsil – Betul (Total 13 villages)
1	Banjari Dhal
2.	Nutan Donga
3.	Kalley Raiyat
4	Sataldehi
5.	Narayanpur
6	Lakhipur
7.	Punji
8.	Kolhya
9	Chikhalya Tee
10.	Dharampur
11.	Jholi - 1
12.	Jholi - 2
13.	Chikhalpati
(ii)	Tehsil --Shahpur (Total 4 villages)
1.	Dhasai Raiyat
2	Dhasai Mall
3.	Bhatna
4.	Ranipur

Grand Total (Distts. Hoshangabad, Betul and Chhindwara) = 164 villages

ANNEXURE -2

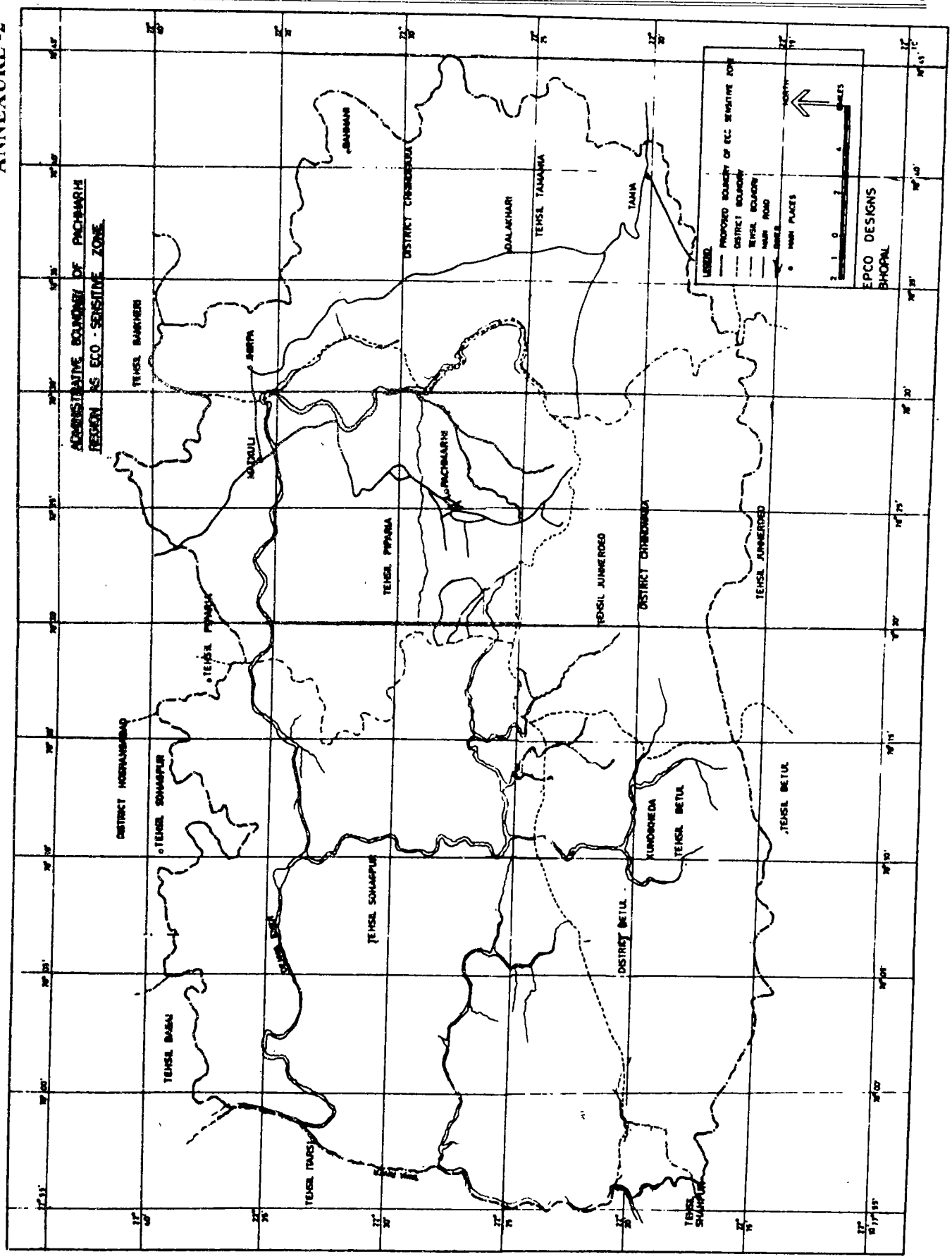

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054